[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 09/2018- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा.का.नि.______(अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम संख्या 2 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद संख्या (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "4.48 रूपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद संख्या (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "5.66 रूपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रंम संख्या 3 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद संख्या (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "6.33 रूपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) की मद संख्या (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर "8.69 रूपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम संख्या 4, के सामने, स्तंभ (3) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" के स्थान पर "वित्त अधिनियम,

2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 5, के सामने, स्तंभ (3) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" के स्थान पर "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(v) क्रम संख्या 6, के सामने, स्तंभ (3) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" के स्थान पर "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण.- मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1217(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 22/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 अक्तूबर, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।